संख्या:-01/2022/2504 /छप्पन-2021-01/2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक : 06 जनवरी, 2022

विषय:- अवमानना याचिका संख्या: 961(सी)/ 2021, राम प्रकाश बाजपेयी बनाम श्री एस0पी0 गोयल व 01 अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 468/ना0उ0नि0/2021 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत अवमानना याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में याची श्री राम प्रकाश बाजपेयी को उनकी सेवा समाप्ति की तिथि 04 अगस्त, 1995 से बहाल किए जाने व एरियर की पूरी धनराशि का भुगतान किए जाने तथा उनकी अन्तिम परिलब्धियों के अनुसार उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अवकाश नगदीकरण आदि का भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति/अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध शासन से किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवमानना याचिका से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-331(एस0एस0)/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 मार्च, 2021 के अनुपालन में याची श्री राम प्रकाश बाजपेयी को उनकी सेवा समाप्ति की तिथि 04 अगस्त, 1995 से बहाल करने के उपरान्त उनके एरियर की पूरी धनराशि का भुगतान करने एवं सेवानिवृत्ति की तिथि को उनके अन्तिम वेतन के आधार पर उन्हें सेवानिवृत्तिक लाभ स्वीकृत होंगे। इसके अतिरिक्त सामान्य भविष्य निधि एवं सामूहिक बीमा योजना के अधीन भुगतान भी श्री राम प्रकाश बाजपेयी को अनुमन्य होगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in